

आदेश

राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति द्वारा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर चयन के उपरान्त निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कार्मिकों को वर्ष 2017-2018 की रिक्तियों के प्रतिकूल उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से नियमित रूप से कनिष्ठ सहायक के पद पर निर्धारित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल नं0 एल-05 (L-5) में पदोन्नत कर उनके सम्मुख दर्शाये गये स्थानों पर एतद् द्वारा पदस्थापित किया जाता है-

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन	चयन तिथि
1	श्री मांगी लाल (ओ.बी.सी.) प्र.शा.वा.	राज. कन्या महा., बीकानेर	राज. कन्या महा., बीकानेर	01.04.2017
2	श्री पूरण राम (अ.जा.) च.श्रै. कर्म.	राज. कला महा., अलवर	राज. कला महा., अलवर	01.04.2017
3	श्री नन्द किशोर स्वामी (अ.जा.) च.श्रै. कर्म.	राज. महा., सीकर	सेवानिवृत्त दि0 30-06-17	01.04.2017
4	श्री शम्भू लाल पंवार, (ओ.बी.सी.) बु.लि.	राज. महा., मण्डफिया	राज. महा., मण्डफिया	01.06.2017
5	श्री रमेश चन्द चौधरी, बु.लि.	राज. कन्या महा., उदयपुर	राज. महा., मावली	01.06.2017
6	श्री बालू राम रैगर (अ.जा.) बु.लि.	राज. महा., देवली	राज. महा., देवली	01.06.2017
7	श्री फिरोज मोहम्मद डायर दफ्तरी	राज. महा., नाथद्वारा	राज. महा., नाथद्वारा	01.11.2017
8	श्री भरत सिंह गरसिया, (अ.ज.जा.) बु.लि.	राज. महा., कुशलगढ	राज. महा., कुशलगढ	31.03.2018
9	श्री चिमनलाल (अ.जा.) प्र.शा.वा.	राज. महा., बीकानेर	राज. महा., बीकानेर	31.03.2018

उक्त में से कम संख्या 05 पर अंकित कार्मिक को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन स्थिरीकरण उनके नाम के आगे अंकित तिथि से होगा परंतु जिस अवधि में उन्होंने कनिष्ठ सहायक पद का वास्तविक रूप से कार्य नहीं किया है, उस अवधि का ऐरियर उन्हें देय नहीं होगा।

उपरोक्त कर्मचारी दिनांक 20.10.19 तक अपने पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, किसी कर्मचारी का कार्यग्रहण काल बढ़ाने सम्बन्धी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी।



आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. सम्बन्धित प्राचार्य- कृपया संबंधित कर्मचारी को पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करें अथवा इनके द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में इनका प्रार्थनापत्र निर्धारित अवधि में आयुक्तालय को भिजवाना सुनिश्चित करें/संबंधित कर्मचारी द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण की सूचना तुरन्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को email- jdadmn.cce@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित कर्मचारी।
4. वेबसाईट प्रभारी- कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. स्थापना शाखा/ रक्षित पत्रावली।



सयुक्त निदेशक(प्रशासन),
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर